**FORM NO. 111**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

**अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द , जिला भीलवाडा**

नारायण .........**बनाम**..........जगू

------------

किस्म मुकदमा......152 जा.दी.      नं......69 -सन्.......2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज | नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थी ने माध्यम अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा.दी. प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 रा.टि.ए. इस न्यायालय मे पेश किया था जिसमें प्रकरण संख्या 216/2017 दर्ज होकर दिनांक 28.06.2018 को दावा मूल डिक्री धारा 53 जारी की गयी जिसमें लिपिकीय भूल होने से डिक्री की पालना नहीं की जा सकी है। दावा डिक्री में हुई लिपिकीय त्रुटियों को निम्नानुसार संशोधित हेतु निवेदन प्रार्थी द्वारा किया गया – | |

| क्र.सं. | आ.नं. | लिपिकीय त्रुटी अंकन रकबा | रकबा जिसका वास्तविक होना था |
|---|---|---|---|
| 1 | 418/1 | 0.75 | 0.26 |
| 2 | 424 | 0.2550 | 0.35 |
| 3 | 489 | 0.35 | 0.29 |
| 4 | 496 | 0.34 | 0.7750 |
| 5 | 495/523 | 0.35 | 0.05 |

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये नोटिस सूचित किया गया। नोटिस बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है।

वकील प्रार्थी की इस्तदुआ [illegible] में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने वक्त बहस [illegible] के तथ्यों को दोहराया तथा संशोधित डिक्री जारी करने का निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया [illegible] पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एंव पाया कि दावा डिक्री में हुयी लिपिकीय त्रुटि को संशोधित किया जाना न्यायाचित होने से प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल डिक्री में निम्नानुसार संशोधन के आदेश जारी किये जाते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

नाम ग्राम – गंगाराम जी का खेड़ा पटवार हल्का दड़ावट

| क्र.सं. | आ.नं. | लिपिकीय त्रुटी अंकन | अंकन जो वास्तविक होना था |
|---|---|---|---|
| 1 | 418/1 | 0.75 | 0.26 |
| 2 | 424 | 0.2550 | 0.35 |
| 3 | 489 | 0.35 | 0.29 |
| 4 | 496 | 0.34 | 0.7750 |
| 5 | 495/523 | 0.35 | 0.05 |

तदनुसार संशोधित डिक्री जारी की जावें। संशोधित डिक्री पर्चा मूल वाद संख्या 216/2017 के साथ संलग्न किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे (संशोधित) अन्तिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाडा

**बजरिये श्री सी.एल.शर्मा आर.ए.एस.**

| प्रकरण संख्या | 69/2021 |
|---|---|
| मूल प्रकरण संख्या | 216/2017 |

उनवान

(1) श्री नारायण पि.बालू गूर्जर नि.हताण तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा –वादी

**बनाम**

1.जगू पि.बालू गूर्जर नि.हताण तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2.लादू पि.बालू गूर्जर नि.हताण तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की और से एडवोकेट श्री पदमसिह देथा एंव प्रतिवादीगण की और से एड.–पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 01.04.2021 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है, और अन्तिम ( संशोधित ) डिकी दी जाती है कि:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा.दी. प्रकरण संख्या 69/2021 दिनांक 01.04.2021 स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.06.2018 को प्रकरण संख्या 216/2017 में जारी की गयी डिक्री को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है –

(1) लादू जगू पि.बालू गूजर सा.हताण खातेदार

| नाम ग्राम | पटवार हल्का | आ.नं. | रकबा |
|---|---|---|---|
| गंगाराम जी का खेड़ा | दड़ावट | 415 | 0.7500 |
| | | 418 | 0.2550 |
| | | 422 | 0.3500 |
| | | 423 | 0.3500 |
| | | 426 | 0.3400 |
| | | 485 | 0.0700 |
| | | 496/1 | 1.3350 |
| | योग | किता – 7 | रकबा -3.45 |

(2) नारायण पि.बालू गूर्जर नि.हताण खातेदार रहन – S.B.I.शाखा आसीन्द

| नाम ग्राम | पटवार हल्का | आ.नं. | रकबा |
|---|---|---|---|
| गंगाराम जी का खेड़ा | दड़ावट | 418/1 | 0.2600 |
| | | 424 | 0.3500 |
| | | 489 | 0.2900 |
| | | 496 | 0.7750 |
| | | 495/[illegible] | 0.0500 |
| | योग | कि[illegible] | [illegible] -1.7250 |

(3) [illegible]

| नाम ग्राम | पटवार हल्का | आ.नं. | रकबा |
|---|---|---|---|
| गंगाराम जी का खेड़ा | दड़ावट | 418/2 | 0.0150 |

इसके वाद के खर्चे लेखे–xxx–रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर–xxx–प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित–xxx–द्वारा–xxx–को दी जावे।

यह संशोधित अन्तिम डिकी आज दिनांक 01.04.2021 को मेरें हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

| वदी | रूपये | पैसे | प्रतिवादी | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प | 2 | – | 1.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प | – | – |
| 2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प | 1 | – | 2.अर्जी के लिए स्टाम्प | – | – |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | 2 | – | 3.प्लीडर की फीस | – | – |
| 4.रूपयें पर लीडर की फीस | – | – | 4.सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | – | – |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | – | – | 5.आदेशिका की तामील | – | – |
| 6. कमिश्नर की फीस (तलवाना) | 1 | – | 6.कमिश्नर की फीस | – | – |
| 7. आदेशिका की तामील | – | – | 7.आदेशिका की तामील | – | – |
| योग | 6 | – | योग | – | – |

सहायक कलक्टर(S.D.O
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested